उत्तर प्रदेश शासन

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2

संख्या-क0नि0-2-1821/ग्यारह-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(87)-2017

लखनऊ:: दिनांक:: 04 **दिसम्बर, 2017**

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 54 की उपधारा (3) के परंतुक के खण्ड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके परिषद की सिफारिशों पर राज्यपाल अधिसूचना संख्या क०नि०-2-850/ग्यारह-9(47)/17-उ०प्र०अधि०-1-2017-आदेश-(17)-2017 दिनांक 30 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते है, अर्थात्:-

संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 6क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रख दी जायेंगी, अर्थात्:-

"6 क	5608	डोरी, रज्जु या रस्सा के ग्रंथित जाल, जो टैक्सटाइल सामग्री के विनिर्मित मत्स्यन जाल और अन्य विनिर्मित जाल हैं
6 ख	5801	कॉरडरॉय फेब्रिक
6 ग	5806	संकीर्ण व्यूतित फेब्रिक, शीर्ष सं. 5807 के माल से भिन्न ; संकीर्ण फेब्रिक, जिसमें आसंजक के माध्यम से समंजित बाना के बिना ताना है (बोल्ड्क्स)"।

2. यह अधिसूचना तारीख 15, नवंबर 2017 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)

अपर मुख्य सचिव